FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

आम जनता नीम का पाडा बनाम रामजीलाल

किस्म मुकदमा—प्रा.पत्र 14(4) असचंटन नियम 1970 प्रकरण संख्या 05/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
31.5.2023	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त आवंटन आदेश से संबंधित एक अन्य प्रकरण सं0 57/2010 उनवानी सरकार बनाम रामजीलाल प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 विचाराधीन है जिसमें आज की तारीख पेशी नियम है। दोनों प्रार्थना पत्रों के तथ्य एक समान है अतः इस प्रकरण को प्रकरण सं0 57/2010 के शामिल(क्लब) किया जाकर एक साथ सुनवाई की जाकर निर्णय पारित फरमाया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व अन्य पत्रावली प्रकरण सं0 57/2010 उनवानी सरकार बनाम रामजीलाल का अवलोकन किया गया। दोनों पत्रावलियों की विषयवस्तु एवं तथ्य एकसमान होने के कारण यह पत्रावली अन्य विचाराधीन प्रकरण सं0 57/2010 उनवानी सरकार बनाम रामजीलाल के शामिल (क्लब) किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:54:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—कमर चौधरी
आई0ए0एस0

(1) प्रा0 पत्र सं0 57/2010 अंतर्गत धारा 14(4)

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

रामजीलाल पुत्र बुद्धालाल जाति हरिजन निवासी सिंडोली

..अप्रार्थी

(2) प्रा.पत्र सं0 05/2014 प्रार्थना पत्र 14(4)

आम जनता ग्राम नीम का पाड़ा (सिण्डोली) तहसील दौसा जिला दौसा

1. रामकरण पुत्र बद्रीनारायण जाति ब्राह्मण
2. रोशनलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति बैरवा
3. घनश्याम पुत्र मूलचन्द जाति मीणा
4. रामस्वरूप पुत्र बद्रीनारायण जाति माली
   निवासी नीम का पाड़ा तहसील दौसा जिला दौसा।
5. बनवारीलाल पुत्र बद्रीनारायण जाति ब्राह्मण
6. भगवानसहाय पुत्र कन्हैयालाल जाति माली
7. उमराव पुत्र बद्रीनारायण जाति मीणा
8. मोतीलाल पुत्र रामकिशोर जाति मीणा
   निवासी सिण्डोली तहसील दौसा जिला दौसा।

.. प्रार्थीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र बुद्धा जाति हरिजन निवासी ग्राम सिण्डोली तहसील दौसा जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा।
3. भू—आवंटन सलाहकार समिति दौसा जिला दौसा जरिये अध्यक्ष उप जिला अधिकारी दौसा।

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन कमेटी दिनांक 13.6.1989 बहक रामजीलाल पुत्र बुद्धा जाति हरिजन निवासी सिण्डोली तहसील दौसा बाबत भूमि खसरा नम्बर 162 रकबा 0.70 है0 द्वारा उपखण्ड अधिकारी दौसा।

उपस्थित : 1. श्री [illegible] अधिवक्ता।
2. श्री राजकुमार ति[illegible] अधिवक्ता प्रार्थीगण।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:54:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक: 31.5.2023

उपरोक्त दो प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन आदेश दिनांक 13.6.1989 से व्यथित होकर प्रस्तुत किये गये है। उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्रों की विषवस्तु एवं इनमें अन्तर्निहित बिन्दु एक समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। यह निर्णय दोनों पत्रावलियों में शामिल रहेगा।

जिला कलेक्टर,दौसा

निरन्तर...2 पर

अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रा0पत्र सं. 5/2014 में एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 में सहवन से साबिक खसरा नंबर 36 मिन रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा दर्ज किया गया है। लेकिन सही साबिक खसरा नंबर 36 नहीं होकर 54 है। अतः इसे दुरूस्त कर सही साबिक खसरा नंबर 54 अंकित किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल में वर्तमान खसरा नंबर 162 के साबिक खसरा नंबर 54 ही है जो प्रमाणित होता है। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 में सही साबिक खसरा नंबर अंकित करने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी रामजीलाल के बाद तामील उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। राजकी अधिवक्ता एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई ।

राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि प्रश्नगत आवंटित भूमि आबादी व ग्रामवासियों के सार्वजनिक उपयोग की थी एवं उक्त भूमि में आवंटन के समय से पूर्व ही तीन सार्वजनिक उपयोग के कुए एवं भोमियाजी महाराज व माताजी का स्थान बना हुआ है जो काफी पुराना है एवं उक्त भूमि में गैर मुमकिन तलाई व एनीकट बना हुआ है अर्थात उक्त भूमि जलाशय भराव की भूमि है जो जलाशय भराव के उपयोग उपभोग में आती है एवं उक्त भूमि में होकर ग्राम सिण्डोली का समस्त पानी बहाव नाले के माध्यम से पहाड़ों की ओर इसी भूमि में है। समस्त ग्रामवासियों का पहाड़ों की तरफ आने जाने का रास्ता उक्त भूमि में होकर ही जाता है इसलिये उक्त भूमि आवंटन के योग्य नहीं थी। परन्तु आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी सं01 के हक में कर दिया गया है। जो गांव सिण्डोली में रहता ही नहीं है जिसका कोई पता नहीं है इस नाम का कोई व्यक्ति आवंटन से पूर्व से व आज तक नहीं रहा है न ही उक्त भूमि पर कोई काश्त हुई है। इसलिये आवंटन नियमों की अवहेलना होने से उक्त आवंटन आदेश निरस्त किया जाना आवश्यक है। खसरा नम्बर 162 रकबा 0.70 है0 साबिक रिकॉर्ड के अनुसार गैर मुमकिन आबादी की भूमि है, कानूनन गैरमुमकिन आबादी व चरागाह की भूमि का किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता है ना ही किसी के नाम खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्ण अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि गैर मुमकिन आबादी जलाशय आदि की भूमि आवंटन योग्य नहीं मानी जा सकती है ना ही ऐसी भूमि का आवंटन किया जा सकता है। उक्त आराजीयात ग्रामीणों के पशुओं को चरने व बारिश के समय पानी के बहाव का क्षेत्र है उक्त भूमि में किसी प्रकार की काश्त नहीं की जा [illegible] है। आवंटन कमेटी ने साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ही [illegible] आवंटन [illegible] है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आवंटन आदेश दिनांक 1[illegible]1989 बाबत खसरा नम्बर 162 रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम सिण्डोली तहसील [illegible] को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:54:41 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर...3 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

हमने राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प सिण्डोली द्वारा अप्रार्थी रामजीलाल पुत्र बुद्धालाल जाति हरिजन को ग्राम सिण्डोली स्थित आराजी खसरा नंबर 162 रकबा 0.70है. भूमि का दिनांक 13.6.1989 को आवंटन किया गया था। न्यायालय में विचाराधीन एक अन्य प्रकरण सं0 5/2014 उनवानी आम जनता नीम का पाडा भी प्रश्नगत भूमि से संबंधित है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी प्रश्नगत भूमि पर सार्वजनिक कुई, देवस्थान व तलाई बनी हुई होना अंकित किया है। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2060 से 2063 के अवलोकन से भी भूमि बंजड पडी हुई होना ज्ञात होता है। भूमि पर मौके पर तलाई एवं भूमि काबिल काश्त नहीं होने से हम आवंटन सलाहकार समिति मुकाम सिण्डोली द्वारा दिनांक 13.6.1989 को आवंटी रामजीलाल पुत्र बुद्धालाल जाति हरिजन निवासी सिण्डोली को आवंटित की गई प्रश्नगत भूमि का किया गया आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण एवं तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13.6.1989 द्वारा ग्राम सिण्डोली में आवंटी रामजीलाल पुत्र बुद्धालाल जाति हरिजन निवासी सिण्डोली के पक्ष में आराजी खसरा नंबर 162 रकबा 0.70है. का किया गया आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को भी प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 31 मई, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:54:41 IST
Reason: SelfAttested